रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 29, 2016/माघ 9, 1937
No. 72] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 29, 2016/ MAGHA 9, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 129(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2009 और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	01*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34,800रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाऐगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन बैंड 1; 5200-20,200रु. + ग्रेड वेतन 2800रु. में ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-1 जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि/प्रोन्नति समिति(पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक से अनिम्न रैंक का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	लागू नहीं होता।

				प्रौद्योगिकी विभाग - सदस्य 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग का उपसचिव से अनिम्न रैंक का एक अधिकारी - सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. स्टाफ कार चालक(श्रेणी 1)	09*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20,200रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन बैंड 1; 5200-20,200रु. + ग्रेड वेतन 2400रु. में स्टाफ कार चालक श्रेणी-II जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्षों की नियमित सेवा की हो या स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) में 15 वर्षों की सम्मिलित सेवा की हो; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कार्मिक का प्रधान, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग -अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक से अनिम्न रैंक का एक अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग -सदस्य 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से भिन्न भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग का उपसचिव से अनिम्न रैंक का एक अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II)	08*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20,200रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति	प्रोन्नति: वेतन बैंड 1; 5200-20,200रु. + ग्रेड वेतन 1900रु. में के ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षण पास किया हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/संयुक्त निदेशक कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग -अध्यक्ष 2. उप निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग –सदस्य 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	लागू नहीं होता।

				विभाग से भिन्न भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव -सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	08*(2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20,200रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) *यदि 'सीधी भर्ती', सीधी खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाती है, आयु-सीमा 18 और 27 वर्षों के बीच होगी।	आवश्यक: (i) मोटरकार के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; (ii) मोटरकार के चालन का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और (iii) 10वीं स्तर उत्तीर्ण। वांछनीय: होमगॉर्ड/सिविल सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा। टिप्पण:- अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, अनुभव के संबंध में अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले या पुनर्नियोजित व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति/ आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र बल के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन	प्रतिनियुक्ति/आमेलन:- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डाइटवाई) में वेतन बैंड 1; 5200-20,200रु. + ग्रेड वेतन 1800रु. में के नियमित सवार हरकारा (समूह 'ग') और समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो मोटर कारों के चालन की सक्षमता निर्धारण के लिए चालन परीक्षण के आधार पर मोटरकारों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो जिसके न हो सकने पर केंद्रीय	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक/संयुक्त निदेशक	लागू नहीं होता।

			सरकार के अन्य मंत्रालयों में नियमित आधार पर सवार हरकारा का पद धारण करने वाले पदधारियों या वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में के नियमित समूह 'ग' कर्मचारियों में से जो स्तंभ (7) में यथा उल्लिखित आवश्यक अर्हताएं पूरी करते हैं। सशस्त्र बल कार्मिक के लिए : प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग –सदस्य 3. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से भिन्न भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग का अवर सचिव -सदस्य	

[फा. सं. 1(6)/2014-कार्मिक-3]

राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2016

G.S.R. 129(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 2009 and the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Information Technology (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2010, except as respects this done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' and Group 'C' posts in the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay band, grade pay or pay scale.** - The number of posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.** - The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Pay band and Grade pay or Pay Scale**	**Whether selection or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Staff Car Driver (Special Grade)	01* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-gazetted, Non-ministerial.	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4200	Non-selection post

Age limit for direct recruits	**Educational and other qualifications for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees**	**Period of probation, if any**	**Methods of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	Promotion

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade – I in Pay Band I Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800 with three years of regular service in the grade.	**Group 'B' Departmental Promotion/Confirmation Committee (for considering promotion/confirmation) consisting of -** 1.Head of Personnel, Department of Electronics and Information Technology -Chairman 2.One Officer not below the rank of Joint Director, Department of Electronics and Information Technology - Member 3.One Officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry/Department other than the Department of Electronics and Information Technology -Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Staff Car Driver (Grade I)	09* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2800	Non-selection post

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade – II in Pay Band I Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400 with six years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade); and have passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotional Committee (for considering promotion(consisting of) -** 1.Head of Personnel, Department of Electronics and Information Technology - Chairman 2.One Officer not below the rank of Joint Director, Department of Electronics - Member	Not applicable.

	and Information Technology 3.One Officer not below -Member the rank of Deputy Secretary to the Government of India from a Ministry/Department other than the Department of Electronics and Information Technology	

(1)	(2)	(2)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Grade II)	08* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 2400	Non-selection post

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Ordinary Grade) in Pay Band I Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900 with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, specified by the Government.	**Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering promotion (consisting of) -** 1. Director/Joint Director -Chairman Personnel, Department of Electronics and Information Technology 2. Deputy Director, -Member Department of Electronics and Information Technology 3. Under Secretary to the -Member Government of India from a Ministry or a Department other than the Department of Electronics and Information Technology	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	08* (2016) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-gazetted, Non-ministerial.	Pay Band-1 Rs. 5200-20200 with Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40	**Essential:** (i)Possession of a valid driving license for motor car; (ii)Experience of driving a motor car for at least three years; and (iii)Pass in 10^{th} Standard.	Not applicable	Two years for direct recruits or re-employed.	Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel:

years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). *If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive examination, the age limit would be between 18 and 27 years.	**Desirable:** Three years' service as Home Guard/Civil Volunteers. Note: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them, the qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.			Deputation/re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation/Absorption: From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Pay Band I Rs. 5200-20200 Grade Pay of Rs. 1800 in the Department of Electronics and	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee for considering confirmation cases(consisting of) -** 1.Director/Joint Director -Chairman	Not applicable.

Information Technology (DeitY) who possess valid Driving Licence for Motor Cars on the basis of a driving test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Pay Band I Rs. 5200-20200 Grade Pay of Rs. 1800 in other Ministries of the Central Government who fulfil the necessary qualifications as mentioned in column (7). Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such person would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. **Note**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.	Personnel, Department of Electronics and Information Technology 2.Deputy Director, -Member Department of Electronics and Information Technology 3.Under Secretary to the -Member Government of India from a Ministry or a Department other than the Department of Electronics and Information Technology	

[F. No. 1(6)/2014-Pers.III]

RAJIV KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.